कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 1010 /11–सी–FP/UP/REHAB/149021/2021, लखनऊ, दिनांकः अक्टूबर 14 ,2024

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 शासन द्वारा जनपद औरैया के अन्तर्गत तहसील औरैया के ग्राम अस्ता को ऊँचे स्थान पर बसाये जाने के लिये दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु वन विभाग की 3.943 हे0 आरक्षित वनभूमि के विनिमय के सम्बन्ध में गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 508 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UP/REHAB/149021/2021)

संदर्भ– उ0प्र0 शासन की पत्र सं0–पी 3639/81–2–2022–800(331)/2022, दिनांक 16.03.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर ने अपने पत्रांक–950/14–1, दिनांक 10.10.2024 ऑनलाईन प्रेषित किया है।

अतः मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित किया गया है। कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 1010 /11–सी FP/UP/REHAB/149021/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया वन प्रभाग, औरैया।
3– प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, तहसीलदार, राजस्व विभाग, औरैया।

(प्रमोद कुमाद गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर

पत्रांक 950/14–1 दिनांक, कानपुर, अक्टूबर 10, 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ

विषयः— मा0 मुख्य मंत्री जी उ0प्र0 शासन द्वारा जनपद औरैया के अन्तर्गत तहसील औरैया के ग्राम अस्ता को ऊँचे स्थान पर बसाये जाने के लिये दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु वन विभाग की 3.943 हे0 आरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 508 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में। ***(प्रस्ताव संख्या— एफ0पी0/यू0पी0/ आर0ई0एच0ए0बी0/149021/2021)***

सन्दर्भः— आपका पत्रांक 2979/11सी–एफ0पी0/आर0ई0एच0ए0बी0/149021/2021 दिनांक 17.03.2023

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी औरैया वन प्रभाग औरैया ने अपने पत्रांक 810/14–1 दिनांक 05.10.2024 द्वारा विषयगत प्रकरण में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव अभिलेखों सहित परिवेश पोर्टल पर आनलाईन अपलोड किया गया है।

अतः उक्त संशोधित प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल पर आनलाईन अपलोड कर आपको सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(कृष्ण कुमार सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर

संख्या /अ समदिनांकित

प्रतिलिपिः— प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया वन प्रभाग औरैया को उनके पत्रांक 810/14–1 दिनांक 05.10.2024 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कृष्ण कुमार सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया वन प्रभाग, औरैया

पत्रांक 810, /14–1 दिनांकःऔरैयाःअक्टूबर 05, 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन द्वारा जनपद औरैया के अन्तर्गत तहसील औरैया के ग्राम अस्ता को ऊँचे स्थान पर बसाये जाने के लिए दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु वन विभाग की 3.943 हे0 आरक्षित वनभूमि के विनिमय के सम्बन्ध में गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 508 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या– एफपी/यूपी/REHAB/149021/2021)

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ की पत्र संख्या–2979/11सी-**FP/UP/REHAB/149021/2021** दिनाक 17.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में चाही गयी बिन्दुवार सूचना आख्या तैयार कर 03 प्रतियों में आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

क0सं0	बिन्दुवार	आख्या
1	2	3
1	वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथासंशोधित वन (संरक्षण) रूल्स 2022 में विनिमय के आधार पर वनभूमि का गैरवानिकी प्रयोग की कोई व्यवस्था है?	Land Transfer through Exchange है।
2	प्रस्ताव में उल्लिखित है कि वन विभाग को राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग के प्रभावित समतुल्य भूमि राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, परन्तु यह स्पष्ट नही किया गया है कि राजस्व विभाग द्वारा ग्रामवासियों को बसने हेतु ऊँचाई पर क्यों नही भूमि उपलब्ध करायी जा रही है, क्या राजस्व विभाग के पास ऊँचाई वाले स्थान पर भूमि नही है?	उक्त ग्राम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त ऊँचाई पर कोई भी अन्य भूमि राजस्व विभाग के पास उपलब्ध नही है।
3	उपलब्ध करायी गयी आख्या मे त्रुटिवश विनिमय शब्द का उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव में रक्षित सभी प्रमाण पत्रों को संशोधित क्यो नही किया गया है और यह भी स्पष्ट किया जाये कि त्रुटि किस स्तर पर हुई है?	Land Transfer through Exchange अंकित कर विनिमय शब्द हटा दिया गया है। संशोधित प्रस्ताव के अभिलेखों को अपलोड कर दिया गया है।

भवदीय,

(राकेश कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग, औरैया

पत्रांक /समदिनांकित

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ की सेवा में उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(राकेश कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग, औरैया

Deepak /g.letter